179

MOST IMMEDIATE
RTI Matter
By Speed post

Government of India

No. 9/5/2014-NE-II
Government of India / भारत सरकार
Ministry of Home Affairs / गृह मंत्रालय
NE Division / पूर्वोत्तर प्रभाग
North Block, New Delhi – 110001
नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली – 110001
Dated 26.03.2014

To,

Shri Shyam Sunder Sharma,
C/o Right to Information, Task Force Office,
Md. Khalil Sharki, Near Amba Talkies Mode,
Shahjahanpur

Sub: - Information sought under RTI Act, 2005 -reg.

This has reference to this Ministry's letter no. VI.23014/132/2013-VS dated 04th March, 2014 forwarding your RTI application dated 14.01.2014 to provide information with regard to point no. (5) of the application to you, if available.

2. In this regard, the information available with this Division may be treated as 'Nil'.

3. If you are not satisfied with the reply, you can make an Appeal as per provisions of the RTI Act, 2005 to Shri Shambhu Singh, Joint Secretary (NE), Room no. 109-C, Ministry of Home Affairs, North Block, New Delhi-110001, within one month from the date of receipt of this communication.

Yours faithfully

(J.P.N Singh)
Director (NE) & CPIO
Telefax: 23092485

27 MAR 2014

Copy to:-

Sh. Girish Kumar, Director (VS) &CPIO, NDCC-II, 3rd Floor, New Delhi- w.r.t to letter no. VI.23014/132/2013-VS dated 04th March, 2014.

पंजीकृत

गृह मंत्रालय
Ministry of Home Affairs
नई दिल्ली/New Delhi
20 JAN 2014
96

सेवा मे

मा0 जनसूचना अधिकारी/गृह सचिव,
गृह मंत्रालय, भारत सरकार,
नई दिल्ली

दिनांक–14 जनवरी, 2014

पत्रांक सं0–583/सू0अ0अधि0–2005/शाहजहाँपुर

विषयः– सूचना का अधिकार अधिनियम– 2005 की धारा 6(1) के तहत आवेदनः–

महोदय,

निवेदन है कि प्रार्थी की जानकारी मे आया है कि जन सूचना का अधिकार अधिनियम लागू होने के उपरान्त कतिपय प्रदेशो मे आर0टी0आई0 एक्टिविस्टो के ऊपर हमले की घटनाओ को दृष्टिगत कर आर0टी0आई0 एक्टिविस्टो की सुरक्षा हेतु गृह मंत्रालय द्वारा दिनांक 14.6.2013 को कार्यवाही हेतु आदेश पारित किया गया है। चूंकि प्रार्थी भी आर0टी0आई0 एक्टिविस्ट है जिस कारण प्रार्थी को उपरोक्त विषयक से सम्बन्धित निम्न जानकारी की आवश्यकता है।

अतः सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा 6(1) के तहत दी गई निर्धारित अवधि मे निम्न सूचना उपलब्ध कराने की कृपा करे।

वांछित शुल्क 10/–रू0 हेतु पॉच रुपये मूल्य के दो पोस्टल आर्डर सं0– 69C 747394 / 69C 747395 मूल रूप मे संलग्न है।

आपेक्षित सूचना का विवरणः–

1. आर0टी0आई0 एक्टिविस्टो की सुरक्षा हेतु जन सूचना का अधिकार अधिनियम लागू होने से आज दिनांक तक किस–किस दिनांक को किस–किस नाम के अधिकारीयो द्वारा आदेश पारित किये गये बताते हुए पारित आदेशों की छाया प्रति को प्रमाणित कर दो प्रतियो मे उपलब्ध कराने की कृपा करे।
2. आर0टी0आई0 एक्टिविस्टो की सुरक्षा हेतु पारित आदेशो का प्रभाव क्या सम्पूर्ण भारत वर्ष मे है अथवा किसी प्रदेश मे बताने की कृपा करे।
3. आर0टी0आई0 एक्टिविस्टो की सुरक्षा हेतु पारित आदेशो का प्रभाव यदि किसी प्रदेश मे नही है तो उस प्रदेश का नाम बताने की कृपा करे।
4. आर0टी0आई0 एक्टिविस्टो पर होने वाले हमलो से एक्टिविस्टो को किस प्रकार की सुरक्षा उपरोक्त आदेश से प्राप्त होगी बताने की कृपा करे।
5. गृह मंत्रालय द्वारा दिनांक 14.6.2013 को आर0टी0आई0 एक्टिविस्टो की सुरक्षा हेतु पारित आदेश की छाया प्रति को प्रमाणित कर दो प्रतियो मे उपलब्ध कराने की कृपा करे।
6. क्या उत्तर प्रदेश मे आर0टी0आई0 एक्टिविस्टो से सम्बन्धित जनपद वार लिस्ट बनाई गयी है। यदि हॉ तो उत्तर प्रदेश के जनपद शाहजहाँपुर आर0टी0आई0 एक्टिविस्टो से सम्बन्धित लिस्ट की छाया प्रति को दो प्रतियो मे प्रमाणित कर उपलब्ध कराने की कृपा करे।

प्रार्थी

श्याम सुन्दर शर्मा

C/o सूचना का अधिकार,टास्क फोर्स कार्यालय,
मो0 खलील शर्की, निकट–अम्बा टाकीज मोड़,
शाहजहाँपुर

संलग्नक–

1. उक्त पोस्टल आर्डर मूल रूप मे।

नोटः–यदि प्रार्थी द्वारा मांगी जा रही सूचना या उसके किसी अंश का सम्बन्ध किसी अन्य लोग/प्राधिकरण से हो तो कृपया सू0अ0अधि0–2005 की धारा 6(3) के नियमानुसार कार्यवाही करने की करे।